जितेंद्र चौहान न्यायमूर्ति के समक्ष

सुरिंदर सिंह और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

2010 का सीडब्ल्यूपीएनओ 10798

3 जून, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984-धारा 28(2)-हरियाणा सहकारी समिति नियम, 1989-आरआई 2 7(क) - सहकारी बैंक के निदेशक मंडल का चुनाव- समिति को ऋण की चुकौती- नामांकन दाखिल करने के दिन कोई बकाया नहीं- बिना पूछताछ किए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र की अस्वीकृति- याचिकाकर्ता को चुनाव लड़ने के अपने वैध अधिकार से चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने और उसे वंचित करने के उद्देश्य से प्रतिवादी की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई

माना जाता है कि सोसायटी के सदस्य के रूप में, याचिकाकर्ता को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। प्रतिवादियोंद्वारा नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के माध्यम से याचिकाकर्ता से अधिकार छीन लिया गया है, उसे डिफॉल्टर घोषित किया गया है जो स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड के खिलाफ है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि याचिकाकर्ता के नामांकन फॉर्म को खारिज करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कभी जांच की गई थी, जैसा कि नामांकन पत्रों की सुरक्षा शीर्षक के *तहत सहकारी समितियों की समिति के चुनाव कीप्रक्रिया के परिशिष्ट-ए, भाग II के नियम 7 में परिकल्पित है*

पैरा 16 और 17)

इसके अलावा, चुनाव 6 जून, 2010 को आयोजित किया जाना

निर्धारित है। याचिकाकर्ता के लिए कोई प्रभावी उपाय उपलब्ध नहीं है। उत्तरदाताओं की गैर-कार्यात्मक और अक्षम मशीनरी के कारण याचिकाकर्ता के अधिकार को छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने स्वय दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है

इसके अलावा, याचिकाकर्ता के नामांकन/उम्मीदवारी को सोसाइटी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई अधूरी जानकारी के आधार पर खारिज कर दिया गया है, जो *शिकायत करने वालों की मदद करने और याचिकाकर्ता को सोसायटी के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के अपने महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग करने से वंचित करने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण इरादे से है। रिटर्निंग अधिकारी ने रिकॉर्ड पर दस्तावेजों को भी आसानी से नजरअंदाज कर दिया।*

(पैरा 19)

अमन पाल, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए

यशपाल मलिक, डीएक्यू हरियाणा।

<u>जितेंदरचौहाननन्यायमूर्तिमौखिक</u>

(1) वर्तमान याचिका परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए दायर की गई है, जिसमें *उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के नामांकन फॉर्म को स्वीकार करने और उसे* हिसार *जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड हिसार के निदेशक मंडल के बंद बर्फ पर चुनाव लड़ने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है, जो 6 जून 2010 को होने वाला है।*

(2) वर्तमान मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने हिसार जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, हिसार (संक्षेप में 'बैंक' के रूप में) के निदेशक मंडल के चुनावी कार्यक्रम के अनुसरण में 17 मई, 2010 को अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इससे पहले, याचिकाकर्ता ने उकलाना मंडी (हिसार) (संक्षेप में 'सोसाइटी' के रूप में संदर्भित) में *बुधखेड़ा प्राइमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड* से 59,960 रुपये का ऋण प्राप्त किया था*। ब्याज के साथ कुल ऋण राशि 1,04,120 रुपये की गणना की गई थी जिसे याचिकाकर्ता ने 17 मई, 2010 को भुगतान किया था। उक्त राशि के भुगतान के लिए सोसायटी द्वारा रसीद भी जारी की गई थी। याचिकाकर्ता ने* 17 मई, 2010 को सोसाइटी-बूढ़ाखेड़ा *प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी लिमिटेड* से *उकलाना मंडी, हिसार* यानी जोन नंबर 6 *से 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' (अनुलग्नक पी -2) प्राप्त* किया *, जिसके तहत*

याचिकाकर्ता की सोसायटी संचालित होती है। सोसाइटी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया कि याचिकाकर्ता द्वारा सोसाइटी के प्रति न तो कोई बकाया है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा ऋण का कोई पुनर्भुगतान किया जाना था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने ऋण के पुनर्भुगतान और नो ड्यूज सर्टिफिकेट के बारे में रसीदके साथ अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया।

(3) याचिकाकर्ता के नामांकन फॉर्म को रिटर्निंग अधिकारी ने टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया क्योंकि उम्मीदवार डिफॉल्टर है औरहरयाण सहकारी समिति नियम, 1989 के नियम 27 (ए) के प्रावधानों के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। 19 मई, 2010 को। याचिकाकर्ता ने उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, हिसार के समक्ष एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी -3) दायर किया, जिसमें अस्वीकृति आदेश वापस लेने की प्रार्थना की गई, क्योंकि याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार के बकाया में नहीं था । यह जोर देकर कहा गया था कि याचिकाकर्ता का नामांकन फॉर्म राजनीतिक कारणों से खारिज कर दिया गया है और यह अवैध और मनमाना था।

(4) दिनांक 18 मई, 2010 के अस्वीकृति के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता नेहरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 102 के तहत रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के समक्ष मध्यस्थता दायर की। याचिकाकर्ता की मध्यस्थता याचिका को अधिनियम की धारा 28 (2) को लागू करते समय समय से पहले और सुनवाई योग्य नहीं होने के आधार परखारिज कर दिया गया था।

(5) 3 जून, 2010 के लिए 1 जून, 2010 को प्रस्ताव की सूचना जारी की गई। राज्य द्वारा कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया है। हालांकि, मूल रिकॉर्ड राज्य के विद्वान वकील द्वारान्यायालय से अलग किया गया है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि नामांकन फॉर्म दाखिल करने के दिन याचिकाकर्ता डिफॉल्टर नहीं था और जांच की गई थी। याचिकाकर्ता ने 17 मई, 2010 को सोसायटी के पास ऋण की पूरी राशि जमा कर दी थी, जिसके टोकन में सोसाइटी के कैशियर ने रसीद संख्या 13842, दिनांक 17 मई, 2010 (अनुलग्नक पी -1) जारी किया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने नामांकन पत्र दाखिल किया और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 18

मई, 2010 को जांच की गई। हालांकि, सोसाइटी के कैशियर की लापरवाही के कारण, याचिकाकर्ता द्वारा 17 मई 2010 को जमा की गई राशि को उसी दिन सोसाइटी की लेजर बुक में दर्ज नहीं किया गया था और अधूरी लेजर बुक और अन्यरिकॉर्ड रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। याचिकाकर्ता को पता चला कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक *टीसीके राम और एक जगबीर सिंह द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को शिकायत की गई थी और यह इन दो व्यक्तियों के इशारे पर था,* सोसाइटी द्वारा याचिकाकर्ता को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करने के लिए एक *दुर्भावनापूर्ण* इरादे से *अधूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया था । हालांकि, याचिकाकर्तापर्याप्त सावधानी* के रूप में 17 मई, 2010 को *किए गए भुगतान की रसीद* (अनुलग्नक पी -1) और अपने नामांकन फॉर्म के *साथनो ड्यूज सर्टिफिकेट (अनुलग्नक पी -2)* भी संलग्न किया गया था , *फिर भी रिटर्निंग अधिकारी ने उक्त दस्तावेजों को नजरअंदाज कर दिया और याचिकाकर्ता के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया। विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि शिकायतकर्ताओं* के इशारे पर *दुर्भावनापूर्ण* इरादे से *रिटर्निंग अधिकारी के रूप* में सोसाइटी *ने याचिकाकर्ता को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से गलत तरीके से वंचित किया है।*

(7) विद्वान वकील आगे "नामांकन पत्रों की सुरक्षा" शीर्षक के तहत 'सहकारी समितियों की समिति के चुनाव के लिए प्रक्रिया' के परिशिष्ट-ए के नियम 7, भाग- *II* का उल्लेख करता है *और प्रस्तुत करता है कि यदि उस स्थिति में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज की गई थी, तो नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने या स्वीकार करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी* को इस *मामले में कारणों का एक संक्षिप्त विवरण देना चाहिए था।*

(8) विद्वान वकील आगे तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं है। उन्होंने आगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (O), A अनुच्छेद 243 (ZG) और अनुच्छेद 329 (B) का उल्लेख किया है ताकि उनके तर्कों को इस आशय का समर्थन किया जा सके कि चुनाव लड़ने में याचिकाकर्ता को कोई रोक नहीं है। उन्होंने आगे कहा है किदिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के लिए कोई अन्य विकल्प प्रभावी उपाय उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र शिकायतकर्ता टीसीके राम और *जगबीर सिंह द्वारा सोसायटी के कर्मचारियों और रिटर्निंग अधिकारी के साथ मिलकर* रची गई साजिश के तहत खारिज कर दिया गया *है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर*

दस्तावेजों पर विचार न किया जाना उनकी ओर से दुर्भावना के बारे में बहुत कुछ बताता है।

(9) प्रतिवादियों के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता के नामांकन पत्रों को सही तरीके से खारिज कर दिया गया है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसे स्थगित नहीं किया जा सकता है और चुनाव से संबंधित विवाद, यदि कोई हो, तो मामले पर विचार किया जाए, केवल चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने में बदलाव करता है। इस संबंध में, उन्होंने अधिनियम की धारा 28 (2) का उल्लेख किया है, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "एक बार शुरू की गई चुनाव प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया जाएगा और चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव पूरा होने के बाद विचार किया जाएगा।
>
> प्रत्यायोजन-निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन की दशा निर्धारित करने वाले रजिस्ट्रार के आदेश की तारीख से कही गई समझी जाएगी। "

(10) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

(11) 'मुख्य प्रश्न जो वर्तमान रिट याचिका में विचार के लिए उभरते हैं; क्या रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र को अस्वीकार करने से पहले जांच करने के लिए बाध्य था और क्या याचिकाकर्ता नामांकन दाखिल करने के दिन चूककर्ता था। इसके अलावा, क्या सोसाइटी और रिटर्निंग अधिकारी ने मनमाने और दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और क्या याचिकाकर्ता के लिए कोई प्रभावी उपाय उपलब्ध है या नहीं।

(12) रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने सोसायटी से ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण 17 मई, 2010 को चुकाया गया है, जैसा कि सोसायटी के कैशियर द्वारा जारी रसीद (अनुबंध पी-1) से स्पष्ट है। किए गए भुगतान को देखते हुए सोसायटी द्वारा दिनांक 17 मई, 2010 को अदेयता प्रमाणपत्र (अनुबंध पी-2) जारी किया गया था। अनुलग्नक पी-1 और पी-2 के पढ़ने से, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता नामांकन के दिन बकाया नहीं था। उपरोक्त दोनों प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में थे लेकिन याचिकाकर्ता के नामांकन पत्रों की जांच करते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संदर्भित/विचार नहीं किया गया था।

(13) सुनवाई के दौरान, मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह पता चलता है कि यद्यपि भुगतान अनुबंध पी-1 के अनुसार किया गया था और इसके प्रत्युत्तर में 17 मई, 2010 को किए गए भुगतान के विरुद्ध अदेयता प्रमाणपत्र जारी किया गया था, लेकिन वही सोसायटी की बही *बही बही में दर्ज नहीं किया गया था। प्रतिवादी के विद्वान वकील परिस्थितियों की व्याख्या करने में विफल रहे हैं, कि क्यों और किन परिस्थितियों में, 17 मई, 2010 को सोसाइटी द्वारा प्राप्त भुगतान को लेजर बुक में परिलक्षित नहीं किया जा सका,* इससे पहले कि रिकॉर्ड जांच के लिए *रिलुमिंग* अधिकारी *की ओर पारित किया* गया । *याचिकाकर्ता द्वारा बहीखाता बही में जमा की गई राशि को इस तथ्य के साथ युग्मित करना कि रिटर्निंग अधिकारी ने किए गए भुगतान की रसीद* (एक *नेक्सर पी -1) और नो ड्यूक्स सर्टिफिकेट (अनुलग्नक पी -2) का उल्लेख नहीं किया है, यह स्थापित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है कि शिकायतकर्ता टेक राम और जगबीर के इशारे पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था याचिकाकर्ता को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखनेऔर उसे चुनाव लड़ने के उसके वैध अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से* श्री एनके सिंह ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया।

(14) इसी तरह की परिस्थितियों में, 1993 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1541 में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने ***नछत्तर सिंह*** *बनाम* ***पंजाब राज्य के*** रूप में *28 अप्रैल, 1993 को फैसला किया, जोनिम्नानुसार है*

> "*उद्धृत* निर्णयों पर विचार करने पर, *यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 13-बी के तहत चुनाव याचिका के माध्यम से चुनाव के परिणाम को चुनौती देने के उद्देश्य से उपाय अभी तक किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपलब्ध हो सकता है,उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप करेगा। केवल एक वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाना एकमात्र परीक्षण नहीं है; इस तरह के उपाय को, इसके अलावा, पर्याप्त और प्रभावोत्पादक होना चाहिए। यह* याचिका है कि राज्य विधानसभाओं या संसद के लिए होने वाले चुनावों के संबंध *में अनुच्छेद 329 (बी) के तहत संविधान द्वारा इंगित तरीके से नगरपालिका समितियों, जिला बोर्डों या ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के संबंध में ऐसी रिट याचिका* की *विचारणीयता के लिए कोई संवैधानिक बाधा नहीं है और इस तरह के संयम के अभाव में, अनुच्छेद 226 का दायरा व्यापक है और*

अन्याय को दूर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। इसलिए, यह न्यायालय *रिट याचिका को बहुत ही सीमा पर नहीं फेंकेगा और याचिकाकर्ताओं पर किए गए अन्याय की भावना और अन्याय को कृत्रिम रूप से अनुच्छेद 26 के दायरे को सीमित करके न्यायालय के हाथों एक और के साथ मिश्रित नहीं करेगा। न्यायालय को संयम बरतने* के लिए अपने पंखों को नहीं कतरना चाहिए, *हालांकि हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, "दुर्लभतम से दुर्लभतम" मामलों में निरस्त शब्दों का उपयोग करने के लिए । इसलिए, हम मानते हैं कि हालांकि याचिकाकर्ताओं के लिए एक चुनाव याचिका के माध्यम से वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, फिर भी हम पाते हैं किवर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में* यह एक प्रभावोत्पादक नहीं है, जिसकी गणना अब की गई है। "

(15) 1974 के सिविल रिट याचिका संख्या 2044 में ***पाला सिंह*** *बनाम* ***पंजाब राज्य*** के रूप में *10 जुलाई, 1975 को फैसला किया गया, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है :-*

(16) मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए बिंदुओं के संबंध में पक्षकारों के संबंधित दृष्टिकोणों की सराहना करने के लिए, संदर्भ हो सकता है

उन्होंने याचिका के पैराग्राफ 9 और 10 की सामग्री *और उसके पैराग्राफ II केएक हिस्से को वही* बनाया, *संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे दिए गए हैं*

"*9. कि श्री सोहन सिंह दोसांजका तबादलाश्री बालमुकंद एम एल ए के कहने पर चुनाव से लगभग 10 या 12 दिन पहले* फरीदकोट से *फिरोजपुर हुआ था।और श्री नसीब सिंह गिल, उपाध्यक्ष कि श्री सोहन* सिंह दोसांझ फिरोजपुर कैंट I *प्राथमिक सहकारीभूमि बंधक बैंक लि, फिरोजपुर कैंट* के निर्वाचन *के लिए निर्वाचन अधिकारी थे । जांच का समय सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक था। याचिकाकर्ता धर्म सिंह के साथ श्री मोहिंदर सिंह सयानवाला, एम.एल.ए.श्री सोहन सिंह दोसांझ का कार्यालय लगभग 10.00 बजेश्री सोहन* सिंह दोसांझ को श्री *गुलवंल* सिंह, *उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, फिरोजपुर* द्वारा श्री *बालमुकंद एमएलए और श्री नसीब* सिंह गिल *के पास ले जाया गया था रिटर्निंग अधिकारी ने किसी भी याचिकाकर्ता को यह नहीं बताया कि किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपत्ति है और बिना जांच किए, उन्होंने उन उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जिनके नामजे थे*

स्वीकार किए गए और अस्वीकार कर दिए गए। उस सूची केअनुसारनाम प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11, 12, 14 और 15 की संख्यास्वीकार किए गए और याचिकाकर्ता संख्या 1-6 सहित अन्य सभी उम्मीदवारों के नामांकन को अस्वीकार कर दिया गयाथा। बाद मेंमैं *तथापि, श्री बख्शीश* सिंह ने श्री नसीब सिंह गिल से शिकायत की कि वह हमेशा *से श्री नसीब सिंह गिल के समर्थक रहे हैं और उन्हें निदेशक घोषित किया जाना चाहिए था। इसलिए प्रतिवादी नंबर 13 श्री के नाम के सामने "अस्वीकृत" शब्द को हटाकर एक नया तरीका अपनाया । जोन नंबर 4 की उस व्यवस्था के अनुसार, प्रतिवादी के नामांकन पत्र*

नंबर जे 2 श्री अल्टार सिंह और प्रतिवादी नंबर 13 श्री बख्शीश सिंह को स्वीकार किया गया और बाद में दिखाया गया

श्री अल्टार सिंह पर, प्रतिवादी नंबर 12 को प्रतियोगिता से वापस ले लिया गया दिखाया गया था और इस तरह 3 जून, 1974 को पूरा चुनाव इस हेरफेर से पूरा हो गया था और प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11, 13, 14 और 15 को चुना गया था।

10. याचिकाकर्ता संख्या 1 से 5 ने रिटर्निंग अधिकारी से पूछा कि किन आधारों पर नामांकन खारिज कर दिए गए थे और रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि उन्हें प्रतियों की आपूर्ति के लिए आवेदन करना चाहिए और

उन्हें नियत समय में प्रतियां मिल जाएंगी।

"11. *याचिकाकर्ता* संख्या 1 से 6 के नामांकन पत्रों को खारिज करने वाले *रिलुमिंग* अधिकारी के *आदेश अवैध, शून्य और निष्क्रिय हैं, क्योंकि पंजाब* सहकारी समिति नियम, 1963 के परिशिष्ट *सी* के नियम 6 के तहत , *आपत्तियों का निपटारा केवलकिया जा सकता है जांच करने के बाद और वर्तमान मामले में कोई जांच नहीं हुई और किसी भी याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का कोई अवसर नहीं दिया गया।* "

याचिका के प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के उत्तर में प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर एक हलफनामा शामिल है। उस उत्तर के पैराग्राफ 9, 10 और 11 को भी लाभ के साथ पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है:-

"9. पैरा *नंबर 9* के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी *23* मई, *1974* को *सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, फिरोजपुर* के रूप में शामिल हुआ और शेष पैरा *से इनकार किया गया। इस अपवाद के साथ कि बैंक के चुनाव के लिए प्रतिवादी रिटर्निंग अधिकारी था, आरोपों से इनकार किया जाता है। सब कुछ योग्यता के आधार पर किया गया था।*

"*10.* पैरा *नंबर 10* के जवाब में यह प्रस्तुत किया गया *है कि* उम्मीदवारों की उपस्थिति में स्क्रूटी *की गई थी* और *स्क्रूटनी का परिणाम घोषित किया गया था। आपत्ति*

विधिवत रूप से मांगे गए थे और उम्मीदवारों द्वारा पूर्व निर्धारित किए गए थे । *हालांकि*, जिन *आधारों पर नामांकन खारिज कर दिया गया है, उनकी प्रतियां प्रक्रिया के अनुसार कार्यालय से प्राप्त की जा सकतीहैं, जिसे उन्होंने कभी नहीं अपनाया।*

"*11. रिट याचिका के पैरा नंबर 11* में लगाए गए आरोपों *से इनकार किया जाता है। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 से 6 के नामांकन पत्रों को खारिज करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के आदेश कानूनी, वैध औरपंजाब सहकारी समिति नियम, 1963 के परिशिष्ट सी के नियम 6 के अनुसार हैं। पूछताछ करने के बाद आपत्तियों का*

निस्तारण किया गया और याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्ति से पूछा *गया था कि क्या उन्हेंनामांकन पत्रों* पर कोई आपत्ति है और कुछ *व्यक्तियों ने लिखित में आपत्ति की है, उनकी आपत्तियों पर उनकी उपस्थिति में विचार किया गया और कानून के अनुसार उनका निपटान किया गया। नामांकन पत्र पर ही नामांकन पत्र खारिज करने के उचित कारण बताए गए थे। जांच के बाद सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय और सोसाइटी के क्षेत्र में अन्य सामान्य स्थानों पर वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की एक सूची प्रदर्शित की गई थी।* "

याचिका के संबंधित पैराग्राफों में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के इन तीन पैराग्राफों में निहित खंडन स्पष्ट रूप से टालमटोल करने वाला है, निम्नलिखित आरोपों को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया है:

'*(1) कि 3 जून, 1974 को, प्रतिवादी नंबर 5 को श्री गुल वंत सिंह ने प्रतिवादी संख्या 7 और 8 के पास ले जाया था और वह दोपहर लगभग 12 बजे अपने कार्यालय लौट आया था।*

"*(ii) प्रतिवादी नंबर 5 ने कभी भी किसी भी याचिकाकर्ता को नहीं बताया कि उनमें से किसी के खिलाफ कोई आपत्ति की गई थी।*

प्रतिवादी संख्या 4 और 5 में कोई संदेह नहीं है: -

अदालत ने कहा, ''पूछताछ करने के बाद आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्ति से पूछा गया कि क्या उन्हें नामांकन पत्रों पर कोई आपत्ति है और *कुछ व्यक्तियों ने लिखित में आपत्तियां की थीं, उनकी आपत्तियों पर उनकी उपस्थिति में विचार किया गया और कानून के अनुसार उनका निपटान किया गया।* "

हालांकि, उन्होंने आसानी से "पूछताछ" की प्रकृति और "याचिकाकर्ताओं को बचाव करने के लिए उचित अवसर" का *विवरण देने से परहेज* किया है। *यदि वास्तव में कोई पूछताछ की गई थी और संबंधित*

याचिकाकर्ता को उसके नामांकन पत्र के खिलाफ की गई आपत्तियों को पूरा करने के लिए कहा गया था, तो कोई कारण नहीं है कि इस फैसले कोइतने सारे शब्दों में रिटर्न में नहीं बताया गया है। याचिकाकर्ताओं के नामांकन पत्रों के संबंध में पारित आदेशों के संदर्भ में यह भी संकेत दिया गया कि उनके नामांकन पत्रों के खिलाफ उठाई गई किसी भी आपत्ति को पूरा करने के लिए उन्हें कोई अवसर उपलब्ध नहीं कराया गया था। वे आदेश नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:-

क्षेत्र याचिकाएं		नामांकन पत्र पर आदेश, मुंबर नंबर
1	1	डिफॉल्टर के आधार पर 1 पेपर रिजेक्ट प्रस्तावक का प्रमाण पत्र। वह स्वयं पीएल एमबी के लिए डिफ़ॉल्ट है। जैसे कियोग्य नहीं है।
2	2	अस्वीकृत. की सदस्यता का खुलासा नहीं किया (ii) कोई निकासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3	3	अस्वीकृत-निकासी प्रमाणपत्र 6 पेक्षा जास्त (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
4 उम्मीदवार	4	अस्वीकृत. मूल समाज के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से और कोई निकासी प्रमाण पत्र नहीं।
5	5	अस्वीकृत. प्रस्तावक निष्क्रियता सदस्य पी.एल.एम.बी.

यदि संबंधित याचिकाकर्ता से आपत्तियां की गई होतीं, तो आदेश में ऐसा ही बताया गया होता और बचाव पक्ष और अस्वीकृति का कारण भी बताया गया होता। प्रत्येक आदेश में इन विवरणों की पूर्ण अनुपस्थिति याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए रुख का *समर्थन* करती *है, खासकर जब प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा उनके रिटर्न में किए गए टालमटोल वाले इनकार को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार मैं मानता हूं कियाचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किसी भी नामांकन पत्र के खिलाफ प्रस्तुत आपत्तियों की जांच के समय प्रतिवादी नंबर 5 द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था*

5. अगला 7 उपर्युक्त *प्रकार की जांच करने के लिए प्रतिवादी नंबर 5 की*

विफलता के प्रभाव पर विचार कर सकता है। परिशिष्ट के खंड 6 के उपखंड (ञ) का निम्नलिखित भाग संगत उपबंध है:-

"(1) रिटर्निंग अधिकारी इस संबंध में निर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय पर नामांकन पत्रों की जांच करेगा, आपत्तियों को सुनेगा, यदि कोई *वाई, किसी भी उम्मीदवार की पात्रता के लिए व्यक्तिगत रूप से आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इन आपत्तियों का निपटान ऐसी जांच के बाद किया जा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने या स्वीकार करने का निर्णय और उसके कारणों का संक्षिप्त विवरण* नामांकन *पत्रों पर पृष्ठांकित किया जाएगा और और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।* "

इस प्रावधान की व्याख्या शर्मा ने की है। , ***परमानंद बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1973 पीएल जे 27 में, इस प्रकार :-***

"7' उनका नियम रिटर्निंग अधिकारी को जांच के रूप के मामले में एक बहुत व्यापक छूट देता है और उसी समय यह नहीं कहा जा सकता है कि रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार को कोई अवसर दिए बिना नामांकन पत्रों के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है। याचिकाकर्ता के नामांकन पत्रों को खारिज करना *केवल इसी आधार पर अवैध है। यह अच्छी तरह से तय है कि नामांकन पत्रों की गलत तरीके से अस्वीकृति चुनाव को दूषित करती है।*

मैं इस दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूं कि उत्तरदाताओं की ओर से भी कोई अपवाद नहीं लिया गया है। मैं तदनुसार यह निष्कर्ष निकालता हूं कि याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित नामांकन पत्रों के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को पूरा करने का अवसर देने में प्रतिवादी संख्या 5 की विफलता उनके द्वारा की गई कार्यवाही और

उत्तरदाताओं संख्या 9 से 13 और 15 के नामांकन पत्रों की स्वीकृति को रद्द कर देती है। .

6. सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री खोजी। उनके नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने पर भी हमला किया गया क्योंकि उन्होंने नीचे दिए गए किसी भी कारण से ऐसा करने का आदेश दिया था:

(ए) प्रस्तावक किसी सोसायटी का डिफॉल्टर था।

(बी) संबंधित उम्मीदवार द्वारा अपने नामांकन पत्र के साथ कोई अनापत्ति

प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया था।

(सी) प्रस्तावक निष्क्रिय सदस्य है.

श्री खोजी द्वारा उठाया गया तर्क अप्राप्य है। अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों का कोई प्रावधान यह नहीं बताता कि इन तीन कारणों में से कोई भी नामांकन पत्र की अस्वीकृति का आधार होगा, मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया है। हालाँकि, श्री ग्रोवर ने तर्क दिया है कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देशों के तहत। सहकारी समितियाँ, पंजाब। अपने पत्र क्रमांक क्रेडिट/सी.ए. के साथ। 3/72303-58 दिनांक 25 अक्टूबर 1969, जिसकी एक प्रति

उन्होंने रिकॉर्ड पर रखी है, एक प्रस्तावक को संबंधित क्षेत्र से मतदाता होना होगा और यदि कोई व्यक्ति किसी भी समाज का बकाएदार है तो वह मतदाता नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 25 के तहत, कोई व्यक्ति सोसायटी की समिति के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं है, यदि वह किसी सहकारी समिति से देय किसी भी राशि के संबंध में चूक करता है। उसे उस सोसायटी में भेजा जाए ताकि चीजों की प्रकृति के अनुसार एक उम्मीदवार को एक "क्लीयरेंस सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उस पर किसी

भी सहकारी सोसायटी का कोई बकाया नहीं है। इसी नियम के खंड (एफ) पर श्री ग्रोवर द्वारा इस प्रस्ताव के लिए भरोसा रखा गया है कि जो व्यक्ति सोसायटी का "निष्क्रिय सदस्य" रहा है, वह प्रस्तावक नहीं हो सकता है। इनमें से किसी भी विवाद में दम नहीं है.

7. उपर्युक्त निर्देशों का प्रासंगिक भाग बताता है:-

"मतदाताओं की क्षेत्रीय सूचियाँ प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग से निम्नलिखित प्रपत्रों में प्रबंधक द्वारा तैयार की जाएंगी... ...चुनाव के लिए उम्मीदवार और प्रस्तावक

संबंधित क्षेत्र से होंगे।"

परिशिष्ट सी के खंड I के उप-खंड (ई) में कहा गया है:

"(ई) 'मतदाता' का अर्थ है इनके तहत वोट देने का हकदार व्यक्ति

नियम।"

इसमें कोई विवाद नहीं है कि जो व्यक्ति मतदान की तिथि पर डिफॉल्टर है, उसे

अपना वोट डालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और यदि वह वोट देने के अधिकार का दावा करने से तुरंत पहले संबंधित सोसायटी को बकाया राशि का भुगतान कर देता है, तो उसकी अयोग्यता समाप्त हो जाती है। . डिफ़ॉल्ट रूप से अर्जित अयोग्यता की प्रासंगिकता, इसलिए, केवल उस समय तक होती है जब मतदान होता है और इससे पहले के चरण में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी प्रस्तावक को मतदाता होना है, तो उसकी स्थिति को डिफ़ॉल्ट की अयोग्यता के संदर्भ के बिना निर्धारित करना होगा, जिसके लिए यह नहीं कहा

जा सकता है कि मतदान की तारीख से पहले चरण तक पहुंच गया है। हालाँकि, जैसा कि यह है। निर्देशों में यह नहीं कहा गया है कि एक प्रस्तावक को "मतदाता" होना चाहिए जैसा कि ऊपर प्रस्तुत उप-खंड (ई) में परिभाषित किया गया है। जिस संदर्भ में निर्देशों में "प्रस्तावक" शब्द का उल्लेख किया गया है, उसका तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नाम सोसायटी के सदस्यों की सूची में होगा, हालांकि इसे "ज़ोनुल" के रूप में नामित किया गया है। मतदाताओं की सूची" जिसकी अभिव्यक्ति का मतलब अयोग्यता के संदर्भ के बिना, यदि कोई हो, आपके विशेष क्षेत्र से संबंधित

सोसायटी के सदस्यों की सूची से अधिक या कम कुछ भी नहीं हो सकता है, जो कि ऐसा सदस्य डिफ़ॉल्ट के कारण अर्जित कर सकता है या अर्जित कर सकता है। बाद में होने वाले मतदान में वोट देने का उनका अधिकार छीन लिया गया है। जाहिर तौर पर एक अयोग्यता जो संबंधित व्यक्ति द्वारा वोट देने के बाद किसी भी समय भुगतान करने पर गायब हो जाएगी, वह व्यायाम बन जाती है। हम मतदान की तारीख उससे पहले नहीं कर सकते जब इस मामले में डिफ़ॉल्ट की अयोग्यता के अधिकार का किसी व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं है

जो उम्मीदवार के रूप में दूसरे का नाम प्रस्तावित करता है। निर्देशों के अलावा, प्रतिवादी संख्या 5 के दृष्टिकोण के

समर्थन में कानून के किसी भी प्रावधान पर भरोसा नहीं किया जाता है कि एक प्रस्तावक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी सोसायटी का डिफ़ॉल्ट न हो।

फिर, निर्देश वे नहीं हैं जिन्हें 'स्थायी निर्देश' कहा जा सकता है जैसे कि उनके जारी होने के बाद सहकारी समितियों की समितियों के सभी चुनावों पर लागू होंगे। वे वर्ष 1969 में प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंकों की समितियों के लिए होने वाले चुनावों के प्रयोजन के लिए परिशिष्ट के खंड 12 के तहत जारी किए गए निर्देश हैं और इसलिए, उन्हें किसी भी बाद के लिए

लागू नहीं किया जा सकता है। चुनाव, ताकि वे मौजूदा मामले में अप्रासंगिक हो जाएं।"

(16) सोसायटी के सदस्य के रूप में, याचिकाकर्ता को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। प्रतिवादियों द्वारा नामांकन पत्र खारिज किये जाने से याचिकाकर्ता से यह महत्वपूर्ण अधिकार छीन लिया गया है। उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जो कि रिकॉर्ड के बिल्कुल विपरीत है।

(17) यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता के नामांकन फॉर्म को खारिज करने से

पहले रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कभी कोई जांच की गई थी, जैसा कि 'समिति के चुनाव की प्रक्रिया' के परिशिष्ट-ए, भाग- II के नियम 7 में परिकल्पित है। सहकारी समितियों के "नामांकन पत्रों की सुरक्षा" शीर्षक के अंतर्गत, जो इस प्रकार है:-

"नामांकन पत्रों की सुरक्षा।-(1) रिटर्निंग अधिकारी चुनाव कार्यक्रम में इस संबंध में निर्दिष्ट स्थान, तिथि और समय पर नामांकन पत्रों की जांच करेगा। यहां पात्रता के लिए आपत्तिकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की गई आपत्तियां, यदि कोई हों, तो प्रस्तुत की जाएंगी। कोई भी उम्मीदवार ऐसी जांच

के बाद आपत्तियों का निपटारा कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने या स्वीकार करने का निर्णय और उसके कारणों का एक संक्षिप्त विवरण नामांकन पत्रों पर दर्ज किया जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र:-

(ए) मतदाताओं की क्षेत्रीय सूची में संबंधित प्रविष्टियों के अनुरूप लाने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में नामांकन पत्रों में किसी भी लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की अनुमति दें: और

अस्वीकरण :स्थानीयभाषामेंअनुवादितनिर्णयवादीकेसीमितउपयोगकेलिएहैताकिव हअपनीभाषामेंइसेसमझसकेऔरकिसीअन्यउद्देश्यकेलिएइसकाउपयोगनहींकियाजास कताहै ।
सभीव्यवहारिकऔरआधिकारिकउद्देश्योकेलिएनिर्णयकाअंग्रेजीसंस्करणप्रमाणिकहो गाऔरनिष्पादनऔरकार्यान्वयनकेउद्देश्यकेलिएउपयुक्तरहेगा ।

प्रिंसकुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
कैथल ,हरियाणा